



कार्यालय अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. :-07652-243000
फैक्स नं. :-07652-243222

ई-मेल :- deanshahdol@gmail.com
वेबसाइट :-www.gmcshahdol.org

क्रमांक/...1215...../स्था./राज./एम.सी./2026

शहडोल, दिनांक 24/04/2026

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" तथा एन.एम.सी. मापदण्डानुसार बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के शैक्षणिक संवर्ग (सहायक प्राध्यापक एवं प्रदर्शक/ट्यूटर) के सीधी भर्ती/पदोन्नति के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 15 मई 2026, दिन - शुक्रवार, सायं 05 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

POST -ASSISTANT PROFESSOR

S. No.	Department Name	Total Vacant Post	Category				
			UR	SC	ST	OBC	EWS
1	Anatomy	01	-	-	1 (B)	-	-
2	Anaesthesia	03	-	1(B)	1(B)	1	-
3	Biochemistry #	01	-	-	1(B)	-	-
4	Dermatology	01	-	-	1(B)	-	-
5	Forensic Medicine	02	1	-	1(B)	-	-
6	Community Medicine	03	1	-	1(B)	1	-
7	General Surgery	02	-	1(B)	-	1	-
8	Microbiology #	01	-	-	1(B)	-	-
9	Orthopedics	02	-	1(B)	1	-	-
10	ENT	01	-	-	1(B)	-	-
11	Pathology	01	1	-	-	-	-
12	Pharmacology	02	1	-	1(B)	-	-
13	Physiology	01	-	-	1(B)	-	-
14	Obstretics & Gyanecology	02	1	-	1(B)	-	-
15	Radiodiagnosis	01	1	-	-	-	-
Total		24	06	03	12	03	0

POST -TUTOR/DEMONSTRATOR

S. No.	Department Name	Total Vacant Post	Category				
			UR	SC	ST	OBC	EWS
1	Anatomy	01	-	-	1(B)	-	-
2	Pathology	02	1	-	1	-	-
3	Microbiology #	02	-	-	2 (1B)	-	-
4	Community Medicine	02	-	-	1(B)	1	-
Total		07	1	0	5	1	0

(#) से चिह्नित विभागों में सिर्फ मेडिकल स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री धारी अभ्यर्थियों के आवेदनों को ही विचारण क्षेत्र में रखा जायेगा।

(B) से चिह्नित पद बैकलॉग के पद हैं।

1. उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट www.gmcshahdol.org उपलब्ध है।
2. आवेदन शुल्क :- अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ रु.1000/- (एक हजार रुपये मात्र) एवं आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों को रु.800/- (आठ सौ रुपये मात्र) की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट "NEW GOVT. MEDICAL COLLEGE SHAHDOL AUTONOMOUS SOCIETY" के खाता क्रमांक 3687727001 IFSC Code:- CBIN0280787 बैंक:- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेन ब्रांच, शहडोल (म.प्र.) के नाम का आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क की राशि वापस नहीं की जावेगी। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि एवं साक्षात्कार की तिथि पृथक से महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं अधिकृत वेबसाइट www.gmcshahdol.org के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।
4. आयु सीमा एवं वेतनमान :-

स.क्र.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	वेतनमान
1	सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष	68900-139900 (सातवें वेतनमान का लेवल 11)
2	प्रदर्शक/ट्यूटर	22 वर्ष	57700-117100 (सातवें वेतनमान का लेवल 10)

टीप:- आयु की गणना 01 जनवरी 2026 की दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

5. उपरोक्त पद पर नियुक्ति के उपरान्त राज्य शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत वेतनमान/ निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।
6. पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
7. जाति प्रमाण पत्र :- राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही दिया जायेगा।
8. आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।
9. शैक्षणिक अर्हतायें :-
 - राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण) स.क्र. 465, भाग.-III खण्ड 4, दिनांक 30 जून 2025 में प्रकाशित चिकित्सा संस्थान (संकाय की योग्यता) विनियम, 2025 के अनुसार रहेंगी।
 - उन सभी विषयों में जहाँ पर NMC द्वारा नॉन मेडिकल डिग्री योग्यताधारी अभ्यर्थियों को उक्त TEQ पात्रता नियमावली में सम्मिलित किया गया है। उन विषयों में NMC अधिसूचना दिनांक 16.08.2023 के Minimum Requirement for Annual MBBS Admission Regulation 2023 एवं संशोधन अधिसूचना 02 जुलाई 2025 द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के संबंधित विभागों में वर्तमान में कार्यरत नॉन मेडिकल डिग्री धारी फैकल्टी की गणना कर, मेडिकल एवं नॉन मेडिकल फैकल्टी दोनों के अनुपात के आधार पर ही नॉन मेडिकल डिग्री धारी अभ्यर्थियों के आवेदनों को विचारण क्षेत्र में रखा जायेगा।
10. निरर्हतायें:-
 - विकृत चित्त वाला होने पर।
 - दुश्चरित्र होने पर।
 - शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपनी कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
 - नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपने उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
 - विवाह संबंधी:- जिस उम्मीदवार के न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसके पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसी महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस

उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गयी हो, वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात आगामी प्रसव 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अनर्ह नहीं होगा।

• कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेर बदल कर प्रस्तुत करने पर।

• कदाचरण संबंधी:- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो एवं नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

• ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

• स्वास्थ्य संबंधी:- मानसिक रूप से स्वस्थ न होने पर किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक की वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।

11. आवेदक को समस्त आवश्यक स्वप्रमाणित दस्तावेजों की छायप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12. शासकीय/स्वशासी संस्था में सेवारत आवेदक को अपने मूल नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ-साथ साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में आवेदक को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के शैक्षणिक संवर्ग में सेवारत व्यक्ति को आवेदित पद पर आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

13. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

14. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा चयनित पद पर उपस्थिति दिनांक से 3 वर्ष जो भी पहले हो तक इस स्वशासी महाविद्यालय में सेवाएं देनी होगी। आवेदक को इस बाबत संम्यक रूप से एक बॉन्ड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं शर्तों के उल्लंघन पर उसे 1 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी। चयनित पद पर 3 वर्ष की सेवा उपरांत यदि आवेदक किसी कारणवश त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे 1 माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।

15. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:- बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में आवेदन पत्र दिनांक 15 मई 2026, दिन - शुक्रवार, सायं 05 बजे तक, रजिस्टर्ड डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा किया जा सकता है एवं आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क (डिमाण्ड ड्राफ्ट) संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।

16. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज जैसे अर्हता/अनुभव/शोध पत्र इत्यादि को ही मान्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।

17. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

18. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी।

19. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा।


20. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन रहेगी।

21. संबंधित पद की समस्त अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण होना अनिवार्य होगा।


22. उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट **GMCSHAHDOL.ORG** पर उपलब्ध है।
23. किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल माननीय उच्च न्यायलय, जबलपुर के अधीन होगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें।
2. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
3. आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो। इस आशय से संबंधित घोषणा-पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।
4. विज्ञापन के शर्तों में कभी भी संशोधन का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
5. चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि कोई त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।


स्थापना प्रभारी (राजपत्रित)

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)



अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/...../स्था./राज./एम.सी./2026
प्रतिलिपि:- की ओर सूचनार्थ।

शहडोल, दिनांक 24.04./2026

1. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
3. अध्यक्ष कार्यकारिणी स्वशासी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल, छठवीं मंजिल सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल।
4. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल, स्थानीय कार्यालय, की ओर वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. चिकित्सा महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।


स्थापना प्रभारी (राजपत्रित)

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)


अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)